

तार : जल निगम

दूरभाष : 2620172

2620272

फैक्स 91-0522-2201402



उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालय : 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक:- 329 / प्र-1/2005-0021/18

दिनांक 27 फरवरी 2018

शुद्धि पत्र

विशेष कार्याधिकारी (प्रशासनिक) एवं निजी सचिव की तैनाती हेतु विज्ञापन

इस कार्यालय के पत्रांक 188/प्र-1/2005-0021/18 दिनांक 02 फरवरी 2018, द्वारा उ०प्र० जल निगम लखनऊ में वाक-इन-इण्टरव्यू के माध्यम से नियत मानदेय पर संविदा के आधार पर एक विशेष कार्याधिकारी(प्रशासनिक) एवं एक निजी सचिव की तैनाती हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराये गये थे। उक्त पदों हेतु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15.02.2018 थी। अपरिहार्य कारणों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15.02.2018 के स्थान पर संशोधित तिथि 15.03.2018 की जाती है।

अतः इच्छुक सेवानिवृत्त कार्मिक अपना बायोडाटा एवं सेवा-विवरण सचिव(प्रशासन) उ०प्र० जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त से सम्बन्धित विस्तृत सूचना उ०प्र० जल निगम की वेबसाइट www.jn.upsdc.gov.in पर उपलब्ध है।

उ०प्र० जल निगम वेबसाइट पर अप-लोड किए जाने वाली सूचना

(1) सविदा के आधार पर विशेष कार्यधिकारी(प्रशासनिक) के रूप में तैनाती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

- 1- अभ्यर्थी का नाम-.....
- 2- पिता का नाम-.....
- 3- जन्मतिथि-.....
- 4- स्थाई पता-.....
- 5- पत्र व्यवहार का पता-.....

पासपोर्ट साइज
फोटो

- 6- पूर्व में सेवारत विभाग का नाम-.....
- 7- उक्त विभाग में कार्यभार ग्रहण की तिथि-.....
- 8- सेवावधि-.....
- 9- सेवारत विभाग में विभिन्न पदों पर तैनाती का विवरण-.....
- 10- सेवारत विभाग में अन्तिम वेतन एवं परिलब्धियाँ.....
- 11- सेवावधि में किए गए विशेष कार्यों का विवरण.....
जिसका विशेष अनुभव प्राप्त हो।

--अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं--

- (1) विशेष कार्यधिकारी(प्रशासनिक) की सेवाएं सविदा पर प्राप्त होने पर नियत मानदेय रु० 75,000/-प्रतिमाह पारिश्रमिक के रूप में देय होगा। इसके अतिरिक्त वाहन, आवास इत्यादि की अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगी।
 - (2) सविदा पर नियुक्ति की अवधि में उक्त अधिकारी द्वारा जल निगम कार्य से की गयी यात्रा के सम्बन्ध में वे ही नियम लागू होंगे, जो जल निगम के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए अनुमन्य हैं।
 - (3) सविदा पर नियुक्ति की अवधि में उक्त अधिकारी को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2-4 के सहायक नियम-157(ए) तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत अस्थाई अधिकारियों की भर्ति अवकाश देय होगा परन्तु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश अनुमन्य नहीं होगा।
 - (4) सविदा पर तैनाती की अवधि में उनके द्वारा उ०प्र० जल निगम में कार्मिक अनुभाग, शिकायत प्रकोष्ठ एवं अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों के निस्तारण सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित कराया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष, जल निगम द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्यों का निस्तारण किया जायेगा।
 - (5) उपरोक्त सविदा पर तैनात किए जाने वाले कार्मिकों को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि वे कहीं अन्यत्र सेवायोजित नहीं हैं।
 - (6) उक्त पद हेतु आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2018 को 65 वर्ष से अधिक न हो।
- (2) सविदा के आधार पर निजी सचिव के रूप में तैनाती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

- 1- अभ्यर्थी का नाम-.....
- 2- पिता का नाम-.....
- 3- जन्मतिथि-.....
- 4- स्थाई पता-.....
- 5- पत्र व्यवहार का पता-.....

पासपोर्ट साइज
फोटो

- 6- पूर्व में सेवारत विभाग का नाम-.....
- 7- उक्त विभाग में कार्यभार ग्रहण की तिथि-.....
- 8- सेवावधि-.....
- 9- सेवारत विभाग में विभिन्न पदों पर तैनाती का विवरण-.....
- 10- सेवारत विभाग में अन्तिम वेतन एवं परिलब्धियाँ.....
- 11- सेवावधि में किए गए विशेष कार्यों का विवरण.....
जिसका विशेष अनुभव प्राप्त हो।

--अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं--

- (1) अध्यक्ष, उ०प्र० जल निगम के निजी सचिव हेतु सचिवालय सेवा के एक सेवानिवृत्त निजी सचिव की सविदा के आधार पर निजी सचिव(सविदा) के रूप में तैनाती की जानी है। उक्त निजी सचिव द्वारा अध्यक्ष, उ०प्र० जल निगम के कैंप कार्यालय के कार्यों का सम्पादन किया जायेगा।
- (2) उक्त सेवानिवृत्त निजी सचिव को मानदेय के रूप में रु० 35,000/- प्रतिमाह की दर से नियत पारिश्रमिक देय होगा।
- (3) उक्त पद हेतु आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2018 को 65 वर्ष से अधिक न हो।
उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती एक वर्ष हेतु की जाएगी। तत्पश्चात् संतोषजनक सेवाएं प्राप्त होने पर एक वर्ष हेतु अध्यक्ष द्वारा समयावधि बढ़ायी जा सकती है। अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित सविदा पर योजित कार्मिकों को किसी भी समय हटाया जा सकेगा एवं उनके द्वारा इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।